केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता

बनाम

मैसर्स. एमके (emkay) इंवेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड ओर अन्य 8 दिसंबर, 2004

[एस. एन. वरियावा, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और एस. एच. कपाडिया, जे.

जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985; उप-शीर्षक 4408.90/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944; धारा 4/केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944; नियम 9 (1), 52 ए, 173 बी, 173 सी, 173 एफ, 173 जी (2) और 226/छूट अधिसूचना संख्या। 175/86-सी ई और उसके तहत स्पष्टीकरण VIII:

अन्य निर्माता द्वारा ब्रांड/लोगो मालिक का उपयोग करते हुए मूल्यांकनकर्ता/फर्म उनके द्वारा निर्मित प्लाईवुड पर प्लाईवुड-मुक्ति का लाभ -अधिसूचना-इसके लिए पात्रता-आयोजितः मूल्यांकनकर्ताओं ने एक अन्य लारेग-स्केल निर्माता के स्वामित्व वाले लोगो का उपयोग किया-ऐसा करके उन्होंने संबंधित उत्पाद शुल्क का उल्लंघन किया तथा लोगो के उपयोग के लिए नियम और लाभ के अनुदान के लिए छूट अधिसूचना से अयोग्य हो गए।

निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठे वे ये अपीलें थीं कि क्या प्लाईवुड के निर्माता, उत्तरदाता/निर्धारिती उनके अपने ब्रांड/लोगों के अतिरिक्त प्लाईवुड के एक अन्य बड़े पैमाने के निर्माता का लोगों का उपयोग कर रहे हैं,जिसने लघु उद्योग छूट अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई.के लाभ के लिए वंचित कर दिया है और क्या माल पर चिह्न या शिलालेख फर्म के ब्रांड नाम के रूप में माना जाए पर विचार किया जाना चाहिए और यदि इनका उपयोग दूसरों द्वारा किया जाता है, तो क्या यह अधिसूचना की स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 की रिष्टि के भीतर आएगा।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निर्धारिती/फर्म द्वारा निर्मित माल पर पंजीकृत लोगो, जो एक बड़े पैमाने के निर्माता के स्वामित्व में है, का उपयोग करके निर्धारिती/फर्म लघु पैमाने के उद्योग छूट अधिसूचना लाभ के लिए अयोग्य हो गया ; कि चूंकि निर्धारिती/फर्म लोगों का उपयोग जनता को आकर्षित करने तथा व्यापार को प्रभावित करने के लिए करते हैं, इसलिए अधिसूचना में स्पष्टीकरण VIII का प्रावधान आकर्षित होता है; और यह कि कर कानून में छूट के प्रावधानों को सख्ती से समझा जाए।

उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि छूट अधिसूचना का लाभ, उनके द्वारा निर्मित माल पर अन्य निर्माता/व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रतीक/मोनोग्राम लगाने के आधार पर, इनकार नहीं किया जा सकता है; कि सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनके द्वारा निर्मित माल पाये गए निशान ओर अन्य के द्वारा निर्मित माल पर पाये गए निशान बिलकुल अलग है।; कि उनके द्वारा इस तरह से उपयोग किए गए निशान पूरी तरह से अलग हैं इसलिए व्यापार के दौरान छल पैदा नहीं कर सकते।; और यह कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों तथा दूसरे निर्माता द्वारा उपयोग लोगों के बीच कोई दृश्य या ध्वन्यात्मक समानता नहीं थी।प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर देना और अपीलों को अनुमित देते हुए, न्यायालय द्वारा:

अभीनिर्धारितः 1.1. विवादित माल में एक पंजीकृत लोगों किसी अन्य फर्म से संबंधित और उसके स्वामित्व वाला था। इस प्रकार यह एक स्पष्ट मामला था जहां विवादित माल को अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत लोगो/व्यापार चिह्न के साथ चिपकाया गया था और इसलिए एस. एस. आई. छूट के लिए पात्र नहीं था।

1.2. न्यायधिकरण ने इसकी सराहना नहीं करने में गलती की है अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. के खंड 7 का प्रावधान आकर्षित करने के लिए यह पर्याप्त है कि उत्पाद में किसी अन्य अयोग्य व्यक्ति का ट्रेडमार्क/लोगो हो, और चाहे उत्पाद में निर्माता का ब्रांड नाम/व्यापार नाम/लोगो भी हो, इस तरह की स्थिति को नहीं बदलेगा और न ही बदल सकता है। उसका न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण VIII की व्याख्या

कानून और वास्तव में सही नहीं लगती है।यह अनिवार्य था कि अन्य फर्म से संबंधित पंजीकृत लोगों का उपयोग उनके अपने उत्पाद पर किया जाए। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उत्पादों और लोगों मालिक के बीच संबंध का संकेत देने के उद्देश्य को पूरा किया ताकि व्यापार को प्रभावित किया जा सके और इसलिए, स्पष्टीकरण VIII के प्रावधान को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया। इसके विपरीत न्यायाधिकरण का निष्कर्ष गलत है और इसलिए इसे दरिकनार कर दिया गया है।

1.3. पहला उत्तरदाता, प्लाईवुड का एक निर्माता जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अनुसूची के उप-शीर्षक 4408.90 के तहत अधिनियम, 1985 (1985 का 5) ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के साथ पठित नियम 9 (1), 173 बी, 173 सी और केंद्र के नियम 52 ए और 226 के साथ पठित नियम 173 एफ, 173 जी (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उत्पाद शुल्क नियम, 1944, उनके सामान पर ब्रांड/लोगों के उपयोग के भौतिक तथ्य को दबाने के माध्यम से जो वास्तव में दूसरी फर्म के स्वामित्व में है, प्लाईवुड का एक बड़े पैमाने पर निर्माता, और इस तरह अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. के तहत दी गई छूट के लाभ के लिए अयोग्य हो जाता है। किसी अन्य फर्म के ब्रांड/लोगों के साथ बाजार में उपलब्ध

वस्तुओं ने उस व्यक्ति की पहचान बताए बिना माल और ब्रांड नाम धारक के बीच संबंध स्थापित किया जो

अधिसूचना का स्पष्टीकरण VIII के अनुरूप है -[768 -एफ, जी, एच; 769-डी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम। रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स, (2004) 165 ई. एल. टी. 481 (एस. सी.); केंद्रीय उत्पाद शुल्क चंडीगढ़ के आयुक्त । v. महन्ना डेयरिस, (2004) 166 ई. एल. टी. 23 (एस. सी.) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क चंडीगढ़ के आयुक्त-॥ बनाम। भल्ला एंटरप्राइजेज (2004) 173 ई. एल. टी. 225 (एस. सी.), पर भरोसा किया।

अस्त्र फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर,चंडीगढ़ (1995) 75 ई. एल. टी. 214 (एस. सी.), लागू नहीं था।

B.H.E.L. सहायक संघ बनाम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (1990) 49 ई. एल. टी. 33 (मैड.), अनुमोदित।

2. उत्तरदाता जो प्लाईवुड के निर्माता हैं उनके उत्पाद पर उनके अपने ब्रांड नाम के साथ किसी अन्य फर्म का संकेतित लोगो का प्रयोग करके लघु उद्योग छूट अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. के लाभ के लिए का उपयोग करके वंचित कर दिया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 2360-2361/1999 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 9.6.98 दिनांकित निर्णय और आदेश से सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) एफ. ओ. सं. कलकता में अपीलीय। ए-593-ए 594 /ए. में सी. ए. एल./98. 1992 का ई-246, ई-279

जी. ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल, ए. सुब्बा राव, देवदत्त कामत और अपीलार्थी की ओर से बी. कृष्ण प्रसाद। उत्तरदाताओं के लिए सी. हिर शंकर, वी. जे. फ्रांसिस और अनुपन मिश्रा।

डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया थाः उपरोक्त दोनों अपीलें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण कलकता, अपील सं. ई-246/92, ई-279/92 और ऑर्डर नं. ए-593-594 सी. ए. एल./98 दिनांक 9: 6.1998 2000 में रिपोर्ट किया गया (124) E.L.T.741 द्वारा पारित सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं। दोनों अपीलें एक ही और सामान्य विवादित फैसले के खिलाफ हैं। उपरोक्त दोनों अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

उत्तरदाता-मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स प्लाइकिंग जो अनुसूची अधिनियम, 1985 के उप-शीर्षक 4408.90 के तहत वर्गीकृत प्लाईवुड के निर्माण में लगे हुए हैं। उक्त कारखाने का दौरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा किया गया था जिन्होंने पाया कि उत्तरदाता द्वारा निर्मित प्लाईवुड पर ब्रांड नाम "पेलिकन" के साथ ब्रांड/लोगो "मेरिनो" का भी उपयोग किया जा रहा है। विभाग ने यह विचार व्यक्त किया कि उनके द्वारा निर्मित प्लाईवुड पर "मेरिनो" का लोगो भी दिखाया

जा रहा है, इसके अलावा "पेलिकन" का अपना लोगो और ब्रांड "मेरिनो" यानी एम/एस के मालिक के रूप में मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड, प्लाईवुड का एक बड़े पैमाने पर निर्माता है जो छोटे पैमाने पर छूट अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. दिनांक 1.3.1986 के लाभ का हकदार नहीं है, जैसा कि संशोधित किया गया है, उत्तरदाता भी उसी के खंड 7 को देखते हुए उक्त छूट अधिसूचना के लाभ के हकदार नहीं थे। दूसरा उत्तरदाता-एम/एस। प्लाइकिंग उन व्यापारियों में से एक है जिनके परिसर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा प्लाईवुड जब्त की गई थी।

निर्णय लेने पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकता ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से कहा कि एक विशिष्ट भाषा में "मेरिनो" का संकेत देने वाला लोगो मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड मेसर्स द्वारा उपयोग किया जाने वाला ब्रांड नाम था। जो अधिसूचना संख्या 175/86 सी. ई. के लाभ अनुदान के लिए पात्र नहीं थे और इस तरह पहली प्रतिवादी फर्म को लाभ से इनकार कर दिया और तदनुसार जब्त प्लाईवुड को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने मैसर्स प्लाइकिंग के व्यावसायिक परिसर से प्लाईवुड के 223 टुकड़े भी जब्त किए-इसमें दूसरा प्रतिवादी। प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ताओं के रूप में अधिकारियों के समक्ष तर्क दिया कि ययिप "मेरिनो" शब्द मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्लाईवुड पर लिखी गई शैली में लिखा गया है, फिर भी इसका अर्थ

"मेरिनो" के ब्रांड नाम के तहत उत्तरदाताओं द्वारा माल का कोई संबंध नहीं होगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड का ब्रांड नाम "टफली" और "मेरिनो" है।

विभागीय प्रतिनिधियों ने इन तर्कों का विरोध किया। उत्तरदाताओं ने यह तर्क देते हुए कि पंजीकृत "मेरिनो" ब्रांड नाम और लोगो मेसर्स मेरिनोप्ली के स्वामित्व में है और उत्पाद पर इसका चिपकाना उत्तरदाता फर्मों को अधिसूचना के लाभ से वंचित कर देगा। मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड के रूप में स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 की शर्तें एक बड़े पैमाने की इकाई होने के कारण छूट के हकदार नहीं हैं। अधिसूचना सं. 175/86-सी. ई., खंड 7 को आकर्षित किया जाएगा और उत्तरदाता फर्म छूट के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपने दिनांक 31.3.1992 के आदेश द्वारा जब्त माल को जब्त करने का आदेश दिया। इसमें प्रतिवादियों ने आयुक्त के आदेश के खिलाफ सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। सीईजीएटी, द्वारा आक्षेपित आदेश ने यहाँ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इन दोनों अपीलों को प्राथमिकता दी।

हमने श्री जी. ई. वाहनवती, विद्वान सॉलिसिटर जनरल अपीलार्थी ओर से और प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी. हरि शंकर को सुना। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त नहीं किया। उन्होंने डाक द्वारा अपना जवाबी हलफनामा भेजा।

तत्काल मामले में विवाद यह है कि क्या उत्तरदाता जो प्लाईवुड के निर्माता हैं,अपने स्वयं के ब्रांड नाम "पेलिकॉन" का प्रयोग करने के साथ उन पर "मेरिनो" का संकेत देने वाले लोगों का उपयोग करके छोटे पैमाने पर छूट अधिसूचना No.175/86-CE के लाभ के लिए खुद को वंचित कर दिया। अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या चिह्नों या शिलालेखों को मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड का ब्रांड नाम माना जाना चाहिए और यह अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 की रिष्टि के दायरे में आएगा, जैसे -विभाग द्वारा प्रतिवाद किया गया। खंड 7 इस प्रकार है:

"इस अधिसूचना में निहित छूट निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जहां एक निर्माता अपने ब्रांड के साथ के साथ एक अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत या नहीं) जो छूट के अनुदान के लिए पात्र नहीं है,का माल निर्दिष्ट करता है।"

खंड 7 का स्पष्टीकरण VIII इस प्रकार है:

"ब्रांड नाम "या" व्यापार नाम "का अर्थ होगा एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अर्थात एक नाम या एक चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या ऐसा लेखन जिसका उपयोग ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में किसी संबंध को इंगित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं व्यापार का मार्ग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति की पहचान की पहचान को उजागर करके या बिना करके,संबंध बताता हो।"

विद्वान महान्यायवादी श्री जी. ई. वाहनवती ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित वस्तुओं में मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित और उसके स्वामित्व वाला पंजीकृत लोगो "मेरिनो" था। इस प्रकार यह एक स्पष्ट मामला था जहां विवादित माल को एस. एस. आई. छूट के लिए पात्र नहीं होने वाले दूसरे व्यक्ति के पंजीकृत लोगो/व्यापार चिह्न के साथ चिपकाया गया था। विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, सी. ई. जी. ए. टी. ने यह स्वीकार नहीं किया कि अधिसूचना No.175/86-सी. ई. के खंड 7 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह पर्याप्त है कि उत्पाद में

किसी अन्य अयोग्य व्यक्ति का ट्रेडमार्क/लोगो था जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट था और क्या उत्पाद में भी शामिल था।

निर्माता का ब्रांड नाम/व्यापार नाम/लोगो ऐसी स्थिति को नहीं बदलेगा और न ही बदल सकता है। आगे तर्क देते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण VIII की व्याख्या करता है। कानून और तथ्य में सही नहीं लगता है। मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित पंजीकृत लोगो "मेरिनो" का उपयोग अपने स्वयं के उत्पादों पर करके पहले उत्तरदाता, मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने उक्त उत्पादों के और लोगो का स्वामी के बीच संबंध का संकेत देने के उद्देश्य को पूरा किया। ताकि व्यापार को प्रभावित किया जा सके और इसलिए जहां तक वर्तमान मामला था स्पष्टीकरण VIII का प्रावधानः पूरी तरह से संतुष्ट थे।विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि कर कानून में अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को नजरअंदाज करने के लिए न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए खुला नहीं है।

विद्वान महान्यायवादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा कियाः

- 1. B.H.E.L. सहायक संघ बनाम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (1990) 49 ई. एल. टी. 33 (पागल)
- 2. कमीशन * केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पी, त्रिची बनाम। रुकमनी पाकवेल ट्रेडर्स, (2004) 165 ई. एल. टी.481 (एस. सी.)
- 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 v. माहान डेयरीज, (2004) 166 ई. एल. टी. 23 (एस. सी.)

4.केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-॥ v. भल्ला उद्यम, (2004) 173 ई. एल. टी. 225 (एस. सी.)

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हिर शंकर ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 पंजीकरण या अन्यथा ब्रांड नाम या व्यापार नाम को प्रासंगिक कारक नहीं बनाते और यह कि उत्पाद पर दूसरे व्यक्ति के प्रतीक या मोनोग्राम के एक हिस्से को ढूंढना उन्हें लाभ से बाहर करने के लिए है या माल को अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के दायरे में लाना पर्याप्त नहीं था। वह आगे तर्क देगा कि उत्तरदाताओं के अपने ब्रांड नाम और उत्तरदाताओं के ब्रांड नाम "पेलिकन" और उनके लोगो के बीच "मेरिनो" शब्द के उपयोग को छोड़कर वे पूरी तरह से अलग हैं। निशानों में पाया गया आकार और शैली में-'घेर लिया हुआ पक्षी'-उत्पाद पर लगाया गया है और मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उनके प्लाईवुड पर लगाए गए चिह्नों के साथ

इसकी तुलना की गई है। यह पाया गया है कि "मेरिनो" शब्द को एक शैली में लिखने के अलावा, उक्त अंकन में "टफप्ली" शब्द का भी उपयोग किया गया है, जो कि, मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड का ब्रांड नाम है। उसी के नीचे, लकड़ी और सूरज पर काम करने वाले उबलते पानी और दीमक की तस्वीरें, यह इंगित करने के लिए रखी गई हैं कि विचाराधीन प्लाई उबलते पानी-प्रूफ, दीमक-प्रूफ और मौसम-प्रूफ है और ऐसे निशान उत्पादों पर नहीं पाए जाते हैं। उत्तरदाता फर्मीं द्वारा निर्मित। आगे प्रस्तुत करते ह्ए, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII में परिभाषित ब्रांड नाम खरीदार के दिमाग में यह धारणा नहीं बनाएगा कि उत्पाद मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड का है और उत्तरदाताओं द्वारा ऊपर बताए गए चिह्नों का उपयोग। ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं और मैसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड के बीच व्यापार के दौरान किसी संबंध का संकेत देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश विद्वान वकील ने आगे कहा कि "पेलिकन" ब्रांड और "पेलिकन" लोगों की शैली में "मेरिनो" लोगों के साथ कोई दृश्य या ध्वन्यात्मक समानता नहीं है और उक्त चिह्न भी इस शब्द का उपयोग करता है। " टफली "जो मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड

का ब्रांड नाम है। मेसर्स प्लाइकिंग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में भी यहाँ उनके समर्थन में उत्तरदाता सं. 2 ने यही तर्क दिया गया था,

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विवाद में समर्थन। में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-॥ बनाम भल्ला एंटरप्राइजेज (सुप्रा) ओर फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, चंडीगढ़, (1995) 75 ई. एल. टी में दिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है।

हमने वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर दोनों तरफ से सावधानीपूर्वक विचार किया है।

स्वीकार किया गया की विवादित माल में पंजीकरत लोगो मेरिनो था जो की मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड के स्वामित्व में है।एक स्पष्ट मामला था जहां विवादित माल को अन्य व्यक्ति का पंजीकृत लोगो/व्यापार चिह्न। के साथ चिपकाया गया था जो स. एस. आई. छूट के लिए पात्र नहीं था।

हम न्यायाधिकरण द्वारा पारित सामान्य आदेश को देख चुके हैं। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण ने इस बात की सराहना नहीं की है कि अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. के खंड 7 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह पर्याप्त है कि उत्पाद में किसी अन्य अयोग्य व्यक्ति का ट्रेडमार्क/लोगो था जो तत्काल मामले में पूरी तरह से संतुष्ट था और क्या उत्पाद में निर्माता का ब्रांड नाम/व्यापार नाम/लोगो भी था, ऐसी स्थिति को नहीं बदलेगा और न ही बदल सकता है। इसी तरह, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण VIII की व्याख्या कानून और वास्तव में सही नहीं प्रतीत होता है। यह अनिवार्य था कि एम/ एस मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड /से संबंधित पंजीकृत लोगो "मेरिनो" का उपयोग मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपने स्वयं के उत्पाद पर करके उक्त उत्पादों और लोगो के मालिक के बीच संबंध का संकेत देने के उद्देश्य को पूरा किया तािक व्यापार को प्रभावित किया जा सके और इसलिए, स्पष्टीकरण VIII के प्रावधान को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया। हमारी राय में, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष गलत है और इसे दरिकनार किया जा सकता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के उप-शीर्षक 4408.90 के तहत वर्गीकृत "मेरिनो" ब्रांड नाम का प्रयोग करके प्रथम उत्तरदाता मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लाईवुड के निर्माता ने उनके उक्त सामानों पर "मेरिनो" ब्रांड/लोगो के उपयोग के भौतिक तथ्य को दबाना, जो वास्तव में प्लाईवुड के एक बड़े पैमाने के निर्माता मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड के स्वामित्व में है,9 (1), 173B, 173C केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 52 ए और 226 के साथ पठित नियम 173 एफ, 173 जी (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया

है। प्लाईवुड के एक बड़े पैमाने के निर्माता मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड जिसका वार्षिक निकासी मूल्य अधिक। 2 करोड़ रुपये से अधिक है और इस तरह भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. दिनांकित 1.8.1986 के तहत दी गई छूट के लाभ के लिए अयोग्य हो जाना,, जैसा कि 4.9.1991 पर को उत्तरदाता जारी कारण बताए जाने के नोटिस से देखा जा सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि मेसर्स मेरिनोप्ली और केमिकल्स लिमिटेड, उक्त "मेरिनो" ब्रांड/लोगो का मालिक है और इसलिए, ऐसे पंजीकृत "मेरिनो" ब्रांड/लोगो की छाप वाला प्लाईवुड सामग्री अवधि के दौरान अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई दिनांक 1.3.1986 उक्त नियमों और शर्तों के अनुसार लाभ के अनुदान के लिए पात्र नहीं था। कंपनी ने इस तथ्य पर कभी विवाद नहीं किया कि "मेरिनो" ब्रांड/लोगो उक्त मेसर्स मेरिनोप्ली एंड केमिकल्स लिमिटेड का है, जो प्लाईवुड का एक बड़े पैमाने पर निर्माता है, जो उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार छूट लाभ देने के हकदार नहीं हैं। कारण दर्शाओं नोटिस के जवाब में और व्यक्तिगत स्नवाई के समय, " मेरिनो " शब्द अन्य विवरणों के अलावा उनके उक्त माल पर उपयोग करने के तथ्य पर उत्तरदाताओं ने कभी भी का विवाद नहीं किया उन्होंने तर्क दिया कि उसी का उपयोग केवल यह इंगित करने के लिए किया गया था कि एक विशेष प्रकार के प्लाईवुड की गुणवत्ता के समान थी।

हम भी मानते हे की बाजार में मेरिनो ब्रांड/चिन्ह से उपलब्ध उत्पाद उक्त उत्पाद तथा ब्रांड नाम धारक के बीच,बिना पहचान उजागर किए संबंध स्थापित करते हे। जैसे की -कथित असम कंपनी कथित स्पष्टीकरण VIII की पालना करता है।

हमारी राय में, न्यायाधिकरण का निर्णय गलत है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, त्रिची बनाम बनाम रुकमनी पाकवेल ट्रेडर्स (सुप्रा) मे इसके खिलाफ हैस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। उत्तरदाताओं ने मेसर्स ए. आर. आर. नटकॉन से सुगंधित सुपारी थोक में खरीदी। सुगंधित सुपारी को ए. आर. आर. समूह के संस्थापक श्री ए. आर. रामास्वामी की एक तस्वीर के साथ "ए. आर. आर". के ब्रांड नाम के तहत चिह्नित किया जाता है।उत्तरदाताओं ने अधिसूचना संख्या 1/93-सी. ई., दिनांकित 28.2.1993 के लाभ का दावा किया। उक्त अधिसूचना अन्य बातों के अलावा सुगंधित सुपारी के लिए।छूट प्रदान करती है।अधिसूचना के खंड 4 में प्रावधान है कि छूट किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम प्रयोग करने वालों को नहीं मिलेगी। कारण बताएँ नोटिस उत्तरदाताओं को जारी किया गया था कि उनके सामान को उक्त प्रावधान के तहत छूट नहीं दी गई है।सहायक कलेक्टर ने जमीनी स्तर पर मांग की पृष्टि की कि वे अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। आयुक्त (अपील) द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने

उत्तरदाताओं की अपील को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने इस न्यायालय में दीवानी अपील को प्राथमिकता दी जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। एस. एन. विरयावा, जे. बोलने के लिए पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

इसिलए, हमारे दृष्टिकोण में इस केस के तथ्यों के संदर्भ में यह पिरपत्र कोई महत्व नहीं रखता।यह पिरपत्र स्पष्ट करता है की एक ही व्यापार चिह्न के संबंध में एक पंजीकृत मालिक की तुलना में केवल इसिलए कि दूसरे व्यक्ति के पास कुछ अन्य वस्तुओं में समान पंजीकृत चिह्न है, व्यापार चिह्न के मालिक को पिरपत्र का लाभ प्राप्त करने से नहीं रोकेगा। इस मामले में, निश्चित रूप से, उत्तरदाता ट्रेडमार्क "ए. आर. आर". के मालिक नहीं हैं। वे समूह के संस्थापक की तस्वीर में कोई अधिकार होने का दावा नहीं करते हैं। इसिलए इस पिरपत्र पर न्यायाधिकरण की निर्भरता पूरी तरह से गलत है।

न्यायाधिकरण तब इस आधार पर आगे बढ़ता है कि छूट को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम का उपयोग उसी माल के लिए किया जाता है जिसके लिए व्यापार चिह्न पंजीकृत है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, हमें डर है कि न्यायाधिकरण ने कुछ ऐसा किया है जो कानून में करने की अनुमति नहीं है। यह तय कानून है कि छूट अधिसूचनाओं का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए उनकी व्याख्या उनके अपने शब्दों पर की जानी चाहिए। किसी अन्य अधिसूचना के शब्दों का किसी विशेष अधिसूचना को समझने में कोई लाभ नहीं है। इस अधिसूचना का खंड 4 और स्पष्टीकरण (ऊपर दिया गया है) ने स्पष्ट कर दिया हैं की छूट तब लागू नहीं होगी जब निर्दिष्ट माल (यानी स्गंधित स्पारी) पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड या व्यापार नाम हो। न तो अधिसूचना के खंड 4 में और न ही स्पष्टीकरण IX में यह प्रावधान किया गया है कि निर्दिष्ट माल उस माल के समान या समान होना चाहिए जिसके लिए ब्रांड नाम या व्यापार नाम पंजीकृत है। न्यायाधिकरण ने उपरोक्त तर्क को अपनाने में अधिसूचना के शब्दों में प्रभावी रूप से समान माल के संबंध में नाम या व्यापार नाम "ब्रांड" शब्द जोड़ा है"। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। यह देखा जाना चाहिए कि कोई अपंजीकृत ब्रांड नाम या अपंजीकृत व्यापार नाम हो सकता है। ये किसी विशेष वस्तु के संबंध में नहीं हो सकते हैं। भले ही कोई अपंजीकृत ब्रांड नाम हो या व्यापार नाम का उपयोग किया जाता है तो छूट खो जाती है। इससे यह बह्त स्पष्ट हो जाता है कि छूट तब तक खो जाएगी जब तक ब्रांड नाम या व्यापार नाम का उपयोग किया जाता है, भले ही उपयोग उसी माल पर हो जिसके लिए चिह्न पंजीकृत है।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि अधिसूचना के तहत उपयोग "ऐसे ब्रांड नाम" का होना चाहिए। न्यायाधिकरण ने माना है कि शब्द "इस तरह के ब्रांड नाम से पता चलता है कि एक ही ब्रांड नाम या व्यापार नाम का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि यदि कोई अंतर होने पर छूट नहीं जाएगी। हमें डर है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए न्यायाधिकरण ने स्पष्टीकरण IX को नजरअंदाज कर दिया है। स्पष्टीकरण IX यह स्पष्ट करता है कि ब्रांड नाम या व्यापार नाम का अर्थ एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम (चाहे पंजीकृत हो या नहीं) होगा जिसका अर्थ है एक नाम या एक चिह्न, कोड संख्या, डिजाइन संख्या, ड्राइंग संख्या, प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन। इससे यह बह्त स्पष्ट हो जाता है कि किसी ब्रांड नाम या व्यापार नाम के हिस्से का उपयोग भी, जब तक कि यह व्यापार के दौरान किसी संबंध का संकेत देता है, अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त करने से व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले में माना जा सकता है कि समूह के संस्थापक की तस्वीर। के साथ ब्रांड नाम या व्यापार नाम "ए. आर. आर". शब्द है। सिर्फ इसलिए कि पंजीकृत व्यापार चिह्न पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है,उत्तरदाताओं को खंड 4 से बाहर नहीं निकालता है और उन्हें अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र बनाता है"।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ के मामले में-। v. महान डेयरीज (ऊपर), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,चंडीगढ़। द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। न्यायाधिकरण के समक्ष इस मामले में सवाल यह था कि क्या प्रतिवादी अधिसूचना संख्या 8/98.सी. ई. दिनांक 2.6.1998 से छूट के हकदार हैं। जिसके तहत कुछ वस्तुओं को उत्पाद शुल्क का भुगतान से छूट दी गई थी। हालांकि, छूट तब उपलब्ध नहीं थी जब माल का ब्रांड नाम या व्यापार नाम (चाहे पंजीकृत हो या नहीं) किसी और व्यक्ति का हो। S.N. Variava, J., पीठ की ओर से बोलते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की गई:

"हालांकि, उत्तरदाता अन्य कंपनी का एक पंजीकृत व्यापार चिह्न के समान ही शैली में लिखे "महान" नाम के अचार भी बेचते हैं।सवाल यह होगा कि क्या "स्वाद बनाने वाले" शब्दों को जोड़ने से उत्तरदाताओं को अधिसूचना का लाभ मिल सकता है।

हमने आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स (2004) 165 ई. एल. टी. 481 (एस. सी.) (सिविल अपील सं। 3227-3228 / 1998) में एक निर्णय दिया है। जिसमें हमने माना हे,एक अन्य समान शब्दों को रखने वाली अधिसूचना के संबंध में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंजीकृत व्यापार चिह्न के संबंध में समान व्यापार नाम या चिह्न का उपयोग किया जाता है। भले ही माल भिन्न हों, किसी अन्य कंपनी के व्यापार नाम या ब्रांड नाम का उपयोग किया जाता है, तब तक अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे विचार में, एक बार किसी व्यापारिक नाम या ब्रांड नाम का उपयोग करने के बाद केवल अतिरिक्त शब्दों का उपयोग पार्टी को अधिसूचना के लाभ का दावा करने में सक्षम नहीं बनाएगा।

ऐसा दृष्टिकोण न्यायाधिकरण द्वारा फेस्टो कंट्रोल्स (पी)लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. बैंगलोर, (1994) 72 ई. एल. टी. 919 के मामले में लिया गया है।। हम. उस निर्णय को स्वीकार करते हे।

यह तय किया गया कानून है कि किसी अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए एक पक्ष को अधिसूचना की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर अधिसूचना के शब्दों पर लाभ उपलब्ध नहीं है तो अधिसूचना के शब्दों को फैलाकर या अधिसूचना में शब्दों को जोड़कर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स वी. सीसीई, त्रिची, (1999) 109 ई. एल. टी. 204 मामले में अपने

द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित किया है।हम पहले ही उस मामले में फैसले को खारिज कर चुके हैं। इस मामले में भी हम मानते हैं कि न्यायाधिकरण का निर्णय अस्थिर है। यह तदनुसार अपास्त किया जाता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-॥ v. भल्ला एंटरप्राइजेज (ऊपर): इस मामले पर दोनों पक्षों ने भरोसा किया था। यह भी अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ ब्रांड नाम का मामला है। डिवीजन बेंच ने भी इस मामले में इस अदालत के फैसलों केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम। रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स (ऊपर) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-। v. महान डेयरीज का पालन किया है ओर माना हे कि स्पष्टीकरण IX के साथ पठित अधिसूचना का खंड 4, उस मामले में, उन व्यक्तियों को छूट के लाभ से स्पष्ट रूप से रोकता है जो अपने माल के संबंध में किसी और के नाम का उपयोग या तो संकेत देने के इरादे से या इस तरह से करते हैं ताकि निर्धारिती माल और ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच संबंध का संकेत दिया जा सके। निर्णय का अनुच्छेद 6 हमारे उद्देश्य के लिए उपयोगी होगा जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"मूल्यांकनकर्ताओं की आशंका कि उन्हें दी गई छूट अस्वीकार किया जा सकता है केवल इसलिए है क्योंकि देश के सुदूर क्षेत्र में भी कुछ अन्य व्यापारियों ने पहले व्यापार चिह्न का उपयोग किया था। द. अधिसूचना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि निर्धारिती को केवल तभी प्रतिबंधित किया जाएगा जब वह उस माल पर उपयोग करता है जिसके संबंध में छूट मांगी जाती है। निर्धारिती के सामान और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का संकेत देने के इरादे से समान/समान ब्रांड नाम या नाम का उपयोग करताऐसा कोई इरादा नहीं था या कि ब्रांड नाम का उपयोगकर्ता था। पूरी तरह से भाग्यशाली और अंकों का उचित मूल्यांकन नहीं कर सका इस तरह के किसी भी संबंध को इंगित करते हए, यह छूट के लाभ का हकदार होगा। एक निर्धारिती भी लाभ का हकदार होगा छूट यदि ब्रांड नाम स्वयं निर्धारिती का है, हालांकि कोई और इस नाम का समान रूप से हकदार हो सकता है।"

अस्त्र फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, चंडीगढ़ (ऊपर):इस फैसले से मामले को कोई मदद नहीं मिलेगी। इसे तथ्यों और कानून के आधार पर अलग किया जा सकता है। चूँकि यह मामले पर लागू नहीं होता है, इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि अपवाद या छूट देने वाला प्रावधान कराधान कानून में सख्ती से समझा जाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव के लिए, हम एस. एन. विरयावा, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.की पीठ द्वारा 2003 के सी. ए. संख्या 7994 (झारखंड राज्य और अन्य वी. अंबे सिमेंट्स और ए. एन. आर.) में दिनांक 17.11.2004 पर घोषित हाल के फैसले पर सुरक्षित और लाभकारी रूप से भरोसा कर सकते हैं। निर्णय के पैराग्राफ 25,26 और 27 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी है जो निम्नान्सार है:

"हमारे विचार में, एक कर कानून में एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यह औद्योगिक नीति में निर्धारित शर्तों और छूट अधिसूचनाएँ को नजरअंदाज करने के लिए न्यायालय इसके लिए खुला नहीं है।

हमारे विचार में, आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने

के लिए उत्तरदायी बनाता है।जबिक अनिवार्य नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए,निर्देशिका नियम के मामले में अनुपालन पर्याप्त हो सकता है।

जब भी कानून यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष अधिनियम एक विशेष तरीके से होना चाहिए और उक्त आवश्यकता का पालन करने में विफलता से गंभीर परिणाम होते हैं को भी निर्धारित करता है. ऐसी आवश्यकता अनिवार्य होगी। यह मुख्य नियम है व्याख्या कि जहाँ एक क़ानून में प्रावधान है कि एक विशेष काम किया जाना चाहिए, वह निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए न कि किसी भी तरह से। व्याख्या का यह भी तय नियम है कि जहां कोई क़ानून दंडात्मक है, उसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। चूंकि तत्काल मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य है, इसलिए इसका पालन न करने के परिणामस्वरूप अनुदानकर्ता-यहाँ प्रत्यर्थी के पक्ष में दी गई रियायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए।"

B.H.E.L. सहायक संघ बनाम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (ऊपर): इस निर्णय के समर्थन में विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा अपने विवाद के समर्थन मे भरोसा किया गया था।वही यह अधिसूचना संख्या 175/86-सी. ई. दिनांक 1.3.1986 उक्त मामले का विषय था जो लघू औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को छूट देता है। जिन इकाइयों में याचिकाकर्ता संघ हैं, और जो इकाइयां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायक हैं, उन्होंने कुछ घटकों का निर्माण किया है जिनकी बीएचईएल को आवश्यकता है। इकाइयों द्वारा निर्मित ऐसे घटकों के संबंध में अधिसूचना के अनुसार छूट मांगी गई थी। इकाइयों को इस आधार पर छूट नहीं दी गई थी कि अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 इकाइयों द्वारा निर्मित घटकों की ओर आकर्षित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना की यह अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के साथ पठित खंड 7 के अर्थ में इकाइयों द्वारा निर्मित घटकों को बी. एच. ई. एल. के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के साथ चिपकाया गया है, जो अधिसूचना के तहत छूट देने के लिए पात्र नहीं है। का। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय रिट अपीलों में चुनौती का विषय था। पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "......नाम या चिह्न को प्रतीक, मोनोग्राम.लेबल,हस्ताक्षर ओर आविष्कार किए गए शब्दों या

लेखन के बराबर माना जाता है,लेकिन वस्तुओं पर केवल प्रतीक या चिन्ह आदि पाये जाने ही स्पष्टीकरण VIII के दायरे मे नही आ जाती हे, ताकि अधिसूचना के खंड 7 में निर्धारित छूट के अपवाद के भीतर आए। स्पष्टीकरण VIII द्वारा कुछ और की आवश्यकता है और वह यह है कि उपरोक्त चिह्नों का उपयोग निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध वस्तुओं के बीच संबंध इंगित करने का उद्देश्य या व्यापार में एक संबंध को इंगित करने के लिए में किया गया होगा ओर बी. एच. ई. एल. ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग बी. एच. ई. एल. की पहचान के साथ या उसके बिना कर रहा था।। यहाँ, इकाइयों द्वारा निर्मित घटकों पर कोई प्रतीक नहीं है, बी. एच. ई. एल. की तुलना में, कोई मोनोग्राम नहीं है, कोई लेबल नहीं है और किसी भी प्रकृति का कोई हस्ताक्षर नहीं है, पाया जाता है। घटकों पर पाये गए अभिलेख ओर चिन्ह आविष्कार किए हुए शब्द या लेखन के बराबर हो सकता है। लेकिन बी. एच. ई. एल. द्वारा चिह्न या शिलालेख का उपयोग नहीं किया गया है और न ही किया जा रहा है। इनका उपयोग अकेले इकाइयों और इकाइयों द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। उत्तरदाताओं का जवाबी हलफनामा

1 से 3 तक के अनुसार बी. एच. ई. एल. और इकाइयों के बीच संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार भी हो सकता है। चिह्न या शिलालेख, व्यक्तिगत रूप से या संचयी रूप से बी. एच. ई. एल. द्वारा इकाइयों द्वारा निर्मित घटकों के संबंध में बी. एच. ई. एल. द्वारा उपयोग किए जाने वाले बी. एच. ई. एल. के प्रतीक, मोनोग्राम आदि जैसे चिह्न या एक नाम का गठन नहीं करते हैं। उनका सेवा करने का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से वे बी. एच. ई. एल. द्वारा उपयोग किया जाने वाला नाम या चिह्न का गठन अकेले नहीं करते हैं।लेकिन हम जिस बात पर जोर दे सकते हैं वह यह है कि स्पष्टीकरण VIII में उपयोग की गई भाषा से संचयी रूप से, नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम आदि का उपयोग बी. एच. ई. एल. द्वारा संकेत देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए था या ताकि ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करके घटकों और बी. एच. ई. एल. के बीच व्यापार के दौरान संबंध का संकेत दिया जा सके। यह सच है कि केवल शिलालेख या चिह्नों को देखने या केवल दृश्य निरीक्षण द्वारा, बी. एच. ई. एल. की पहचान का संकेत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल रूप से ये निशान या

शिलालेख बी. एच. ई. एल. का एक नाम या चिह्न है का गठन नहीं करते हैं।; ऐसे घटकों के संबंध में बी. एच. ई. एल. द्वारा बहुत कम उपयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण VIII द्वारा आवश्यक प्राथमिक घटक की संतुष्टि के संबंध में एक कमी है।"

तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

पूर्वगामी कारणों से, हम अपीलों की अनुमित देते हैं और इन अपीलों और उत्तरों में सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांकित 9.6.1998 को दरिकनार कर देते हैं। अपीलार्थी के पक्ष में शामिल मुद्दे और यह मानते हुए कि जो उत्तरदाता अपने स्वयं के ब्रांड नाम मेसर्स पेलिकन के तहत प्लाईवुड के निर्माता हैं, वे उनके ब्रांड नाम के साथ उत्पाद पर "मेरिनो" का संकेत देने वाले लोगो का उपयोग करकेछोटे पैमाने पर छूट अधिसूचना No.175/86-CE दिनांकित 1.3.1986 के लाभ से वंचित हैं।

हालांकि,मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अपीलों की अनुमति दी गई। यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिवानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।